अति तत्काल

सं.जी-25018/1/12014-15/एमएफ-सीजीए/एफए/ओएम-आईजीएएस-2एवं3/1089

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग

महालेखा नियंत्रक कार्यालय

चतुर्थ तल, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली- 110003

दिनांक 18.03.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संघ सरकार वित्त लेखे 2014-15 के लिए "सहायता अनुदान का लेखाकरण और वर्गीकरण" पर भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस) :2 तथा "सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम" पर आईजीएएस:3 के अनुसार सूचना प्रस्तुत करना।

वित्त मंत्रालय ने दिनांक 19.05.2011 की अधिसूचना सं. एस.ओ.1113(ई) द्वारा **भारत सरकार लेखाकरण मानक 2 - "सहायता अनुदान का लेखाकरण और वर्गीकरण"** को अधिसूचित किया है। यह मानक सरकार के वित्तीय विवरणों में सहायता अनुदान के लेखाकरण और वर्गीकरण के सिद्धांत निर्धारित करता है। यह मानक अपेक्षा करता है कि आगे से सभी सहायता अनुदान को उपयुक्त उप वर्गीकरण अर्थात् प्रचालन व्यय के प्रदत्त अनुदान तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्रदत्त अनुदान द्वारा पहचाना जाएगा तथा सरकार के वित्तीय विवरणों में सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा वित्तीय वर्ष के दौरान अनुदानग्राही द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए नियोजित निधियों के विवरण के रूप में दर्शाया जाएगा।

2. इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने दिनांक 13.02.2012 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 268 (ई) द्वारा **संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिम राशियों पर भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस) 3** अधिसूचित किया है। इस मानक का उद्देश्य संघ तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए कर्जों तथा अग्रिम के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिर्पोटिंग के लिए मापदंड निर्धारित करना है ताकि सम्पूर्ण,सही तथा एकरूपी लेखाकरण पद्धतियां सुनिश्चित की जा सके तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम पर पर्याप्त प्रकटन सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ तालमेल सुनिश्चित किया जा सके।

3. उपर्युक्त दो मानक निम्नलिखित विवरणों की तैयारी को दर्शाते हैं:-

i. विवरण सं. 9 प्रकटीकरण विवरण : सहायता अनुदान का लेखाकरण और वर्गीकरण (आईजीएएस -2 के अनुसार) का परिशिष्ट

ii. विवरण सं. 3 : संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिम का संक्षिप्त विवरण (आईजीएएस-3 के अनुसार) और

iii. विवरण सं. 15 : संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिम का विस्तृत विवरण (आईसीजीएएस -3 के अनुसार)

उपर्युक्त की तैयारी के लिए विस्तृत अनुदेश और दिशानिर्देश इसके साथ अनुबंध -1 से अनुबंध -3 के रूप में संलग्न है।

4. सभी मुख्य लेखा नियंत्रक / लेखा नियंत्रक /उप लेखा नियंत्रक सहित संघ राज्य क्षेत्र के लेखे तैयार करने वाले महालेखाकार से **05.06.2015** तक इन विवरणों को भिजवा दें।

(आलोक कुमार वर्मा)
उप महालेखा नियंत्रक
दूरभाष : 24651562

अनुलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार

सेवा में,

1. भारत सरकार के अधीन सिविल मंत्रालयों के सभी प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक/उप लेखा नियंत्रक आदि को अंग्रेजी पाठ के अनुसार।

अनुबंध - 1

आईजीएएस-2 के अनुसार विवरण संख्या - 9 के प्रकटीकरण को तैयार करने के लिए अनुदेश

1. सभी अनुदानग्राही श्रेणियों की पूरी सूचना प्रोफार्मा 1 (क) एवं 1 (ख) के अनुसार प्रस्तुत की जानी है। यदि प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो 'शून्य' रिपोर्ट अवश्य भेजी जानी चाहिए। **विवरण मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (केवल स्वतंत्र प्रभार) द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।**

2. पीएफएमएस के अंतर्गत (पूर्व सीपीएसएमएस) के अंतर्गत योजनागत निधियों के अंतर्गत सहायता अनुदान पहले से ही अनुदानग्राही श्रेणी के साथ रखी जा रही हैं; पीएफएमएस में उपलब्ध अनुदानग्राही श्रेणी आईजीएएस- 2 में श्रेणी के अनुरूप है। दोनों के बीच मैपिंग निम्नानुसार है:

आईजीएएस - 2 के अनुसार अनुदानग्राही का नाम/श्रेणी	**सीपीएसएमएस के अनुसार तदनरूपी मैपिंग**
राज्य सरकार	राज्य सरकार
संघ राज्य क्षेत्र सरकार	
शहरी स्थानीय निकाय	स्थानीय निकाय
पंचायती राज संस्थाएं	
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	राज्य सरकार पीएसयू और केंद्र सरकार पीएसयू
गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)	पंजीकृत सोसाइटियां (एनजीओएस)
स्वायत्त निकाय	पंजीकृत सोसाइटियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)
सहकारी समितियां और सहकारी संस्थाएं	सांविधिक निकाय
सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण	केंद्र सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियां, व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राज्य सरकार संस्था और राज्य सरकार डीडीओ (संस्था का नाम)

3. सूचना लाख रुपयों में पूरे विस्तृत श्रेणी के साथ प्रस्तुत की जाए।

4. कार्यात्मक मुख्य शीर्षों सहित सभी मुख्य शीर्षों के अंतर्गत जारी की गई अनुदानों का अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करते समय लेखा जोखा किया जाए। आईजीएएस-2 विवरण सकल आधार पर तैयार की जानी चाहिए।

5. 'वस्तु रूप में सहायता अनुदान' की सूचना का हिसाब प्रोफार्मा-1 (ख) के अनुसार रखा जाए। पिछले वर्षों के दौरान यह पाया गया कि कुछ मंत्रालयों/विभागों में 'सहायता अनुदान के

रूप में जारी कुल निधियां’ और ‘वस्तु रूप में जारी की गई सहायता अनुदान का मूल्य’ दोनों के लिए समान आंकड़े प्रस्तुत किए जबकि उनमें से कुछ ने ‘वस्तु रूप में जारी की गई सहायता अनुदान का मूल्य’ के लिए विवरण प्रस्तुत नहीं किए हैं।

6. प्रस्तुत की गई सूचना का एससीटी में की गई बुकिंग के साथ सामंजस्य होना चाहिए। प्रस्तुत की गई सूचना की अवश्य वस्तु शीर्ष स्तर (वस्तु शीर्ष 31, 35, 36) तक ई-लेखा के माध्यम से की गई सहायता अनुदान का नियंत्रकवार/अनुदानवार बुकिंग के साथ क्रास चेक भी होना चाहिए। प्रस्तुत की गई सूचना, एससीटी में सहायता अनुदान की बुकिंग और ई-लेखा में सहायता अनुदान का अनुदानवार, वस्तु शीर्षवार बुकिंग में कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

7. उपर्युक्त मैपिंग का उपयोग करते हुए पीएफएमएस में उपलब्ध सहायता अनुदान का विवरण का समाधान ई-लेखा के साथ होना चाहिए। ई-लेखा और पीएफएमएस में यदि कोई अंतर है, तो इसका विश्लेषण किया जाए और इसके कारण आईजीएएस - 2 विवरण के साथ प्रस्तुत किए जाए।

ई-लेखा एवं पीएफएमएस आंकड़ों के बीच अंतर की पहचान करना:- ई-लेखा लघु शीर्ष 911/912/913 के अंतर्गत ‘घटाएं - सहातया अनुदान के अव्ययित शेष की वसूली’ को हिसाब में लेते हुए वर्ष के दौरान जारी निवल अनुदानों को दिखाता है। पीएफएमएस, तथापि, वर्ष के दौरान जारी की गई सकल अनुदानों को दर्शाता है। इनमें अंतर कुछ अन्य कारणों से भी हो सकता है जैसे कि जीईपीजी भुगतान चूक की वजह से एक बिल के लिए काम्पेक्ट में कई भुगतान किया जाने, राज्य/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र को जारी अनुदानों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पीएफएमएस में गलती से कई बार प्रविष्ट किया जाना आदि।

8. योजनागत और योजनेतर के लिए प्रस्तुत ई-लेखा (योजना एवं योजनेतर) आंकडों तथा पीएफएमएस (योजनागत) आंकड़ों के साथ मेल खाता दर्शाने वाला समाधान विवरण प्रोफार्मा 1 (ग) में प्रस्तुत किया जाना है।

9. जेई द्वारा एससीटी में बदलाव का प्रभाव भी सहायता अनुदान के विवरण में, यदि मान्य है, दर्शाया जाना चाहिए और इस कार्यालय को जेई के साथ सूचित करना चाहिए। सीपीएसएमएस सहित समाधान विवरण में भी तदनुसार परिवर्तन करना चाहिए।

अनुबंध -2

विवरण संख्या 3 : संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिमों के विवरण का सारांश तैयार किए जाने संबंधी अनुदेश

1. मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी इकाईयों से संबंधित सम्पूर्ण सूचना प्रोफार्मा - 2 के अंतर्गत भाग-1 से 3 के अनुसार प्रस्तुत की जानी है। यदि प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई सूचना न हो तो, 'शून्य' रिपोर्ट अवश्य भेज दी जाए। **विवरण पर मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (केवल स्वतंत्र प्रभार) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।**

2. यह सुनिश्चित किया जाए कि संघ सरकार वित्त लेखों में शामिल किए जाने के लिए इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिमों की सूचना विवरण संख्या 15 और केंद्रीय लेनदेन विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाती हो।

3. (i) भाग : 1 के अंतर्गत कर्जों और अग्रिमों संबंधी सूचना **"ऋणी समूह"** के अंतर्गत निम्नलिखित समूह के अनुसार दी जाए:-

(क) राज्य सरकारें

(ख) संघ राज्य क्षेत्र की सरकार

(ग) विदेशी सरकारें

(घ) सरकारी निगम, गैर-सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, किसान आदि

(ङ) सरकारी कर्मचारी

(ii) केवल वित्तीय वर्ष 2014-15 से संबंधित आंकड़े (प्रगामी आंकड़े नहीं) भाग 1 के नीचे पाद टिप्पणी 1 में दर्शाए जाएं।

(iii) भाग 1 के नीचे पाद टिप्पणी 2 में केवल प्रगामी आंकड़े दर्शाए जाएं।

(iv) भाग 1 के नीचे पाद टिप्पणी के लिए **"ऋणी समूह"** ऊपर 3 (i) में दिए के अनुसार है।

4. भाग : 2 - कर्जों तथा अग्रिमों का सार के अंतर्गत सूचना **'सेक्टर'** के अंतर्गत निम्नलिखित के अनुसार दी जाए:-

(क) सामान्य सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6075)

(ख) सामाजिक सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6202 से 6250 तक)

(ग) आर्थिक सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6401 से 7475 और मुख्य शीर्ष 7615)

(घ) राज्य सरकारें (मुख्य शीर्ष 7601)

(ङ) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें (मुख्य शीर्ष 7602)

(च) विदेशी सरकार (मुख्य शीर्ष 7605)

(छ) सरकारी कर्मचारियों (मुख्य शीर्ष 7610)

अनुबंध -3

विवरण संख्या 15 - संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिमों का ब्योरेवार विवरण तैयार किए जाने संबंधी अनुदेश

1. मंत्रालय/विभाग के अंतर्गत सभी इकाईयों से संबंधित सम्पूर्ण सूचना प्रोफार्मा -2 के अंतर्गत भाग-1 से 3 के अनुसार प्रस्तुत की जानी है। यदि प्रस्तुत किए जाने के लिए कोई सूचना न हो तो, 'शून्य' रिपोर्ट अवश्य भेज दी जाए। **विवरण पर मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (केवल स्वतंत्र प्रभार) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।**

2. यह सुनिश्चित किया जाए कि संघ सरकार वित्त लेखों में शामिल किए जाने के लिए इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई संघ सरकार द्वारा दिए गए कर्जों और अग्रिमों की सूचना विवरण संख्या 15 और केंद्रीय लेनदेन विवरण में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाती हो।

3. भाग 2 और 3 में **"सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबद्ध है"** को जो पिछले वर्ष के दौरान दर्शाया गया था उससे बदला नहीं जाना चाहिए। तथापि, यदि कोई राशि लौटा दी जाती है जिसके कारण सबसे पहले की उस अवधि को बदले जाने की आवश्यकता होती है जिससे बकाया संबद्ध है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त राशि केंद्रीय लेनदेन विवरण में भी दर्शाई गई है। समाधान के परिणामस्वरूप परिवर्तन सहित कोई अन्य कारण होने पर पाद टिप्पणी में समुचित स्पष्टीकरण दिया जाए।

4. इसके अतिरिक्त, कालम -"31.3.2015 को निकाय पर बकाया कुल कर्ज" के अंतर्गत भाग 2 और 3 में केवल कर्ज का मूलधन भाग दर्शाया जाए अर्थात ब्याज की बकाया राशि को उक्त कालम के अंतर्गत शामिल न किया जाए।

5. विगत में प्रस्तुत की गई सूचना से यह देखा गया है सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों/निगमों, गैर-सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों आदि को दिए गए कर्जों की शर्तों और निबंधनों को कई वर्षों तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। इस संबंध में शर्तों और निबंधनों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारणों को भाग : 3 के नीचे अतिरिक्त प्रकटीकरणों के अंतर्गत उप पैरा 2 में अवश्य बताया जाए। शर्तों और निबंधनों को अंतिम रूप न दिए जाने के तथ्य से लोक लेखा समिति को नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। अत:, ऐसे मामले में मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रोफार्मा-1

भारत सरकार लेखाकरण मानक: 2

(क) वर्ष 2014-15 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

अनुदान ग्राही का नाम/श्रेणी		**सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां**			**कॉलम 2 के अंतर्गत जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियां**		
1		**2**			**3**		
	लेखा शीर्ष	**योजना**	**योजनेतर**	**कुल**	**योजना**	**योजनेतर**	**कुल**
राज्य सरकार							
संघ राज्य क्षेत्र सरकार							
शहरी स्थानीय निकाय							
पंचायती राज संस्थाएं							
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम							
गैर सरकारी संगठन							
स्वायत्त निकाय							
सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं							
सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण							
अन्य							
कुल							

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक

मंत्रालय का नाम:-

दूरभाष संख्या:-

(ख) वर्ष ....के दौरान वस्तु के रूप में जारी किए गए सहायता अनुदान के कुल मूल्य और वस्तु जो कि स्वरूपत: पूंजीगत परिसम्पत्ति है के रूप में सहायता अनुदान के मूल्य का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

अनुदान ग्राही का नाम/श्रेणी		सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल निधियां	कॉलम 2 के अंतर्गत जारी की गई कुल निधियों में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियां
1		2	3
	लेखा शीर्ष		
राज्य सरकार			
संघ राज्य क्षेत्र सरकार			
शहरी स्थानीय निकाय			
पंचायती राज संस्थाएं			
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
गैर सरकारी संगठन			
स्वायत्त निकाय			
सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं			
सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण			
अन्य			
कुल			

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
मंत्रालय का नाम:-
दूरभाष संख्या:-

(ग) **भारत सरकार लेखाकरण मानक-2 के लिए समाधान विवरण**

(लाख रुपयों में)

अनुदान ग्राही का नाम/श्रेणी	सीपीएसएमएस के अनुसार समवर्ती मैपिंग	वस्तुगत शीर्ष	मैनुअल प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार		ई-लेखा प्रणाली के अनुसार		पीएफएमएस प्रणाली के अनुसार
			योजना	योजनेतर	योजना	योजनेतर	योजना
राज्य सरकार	राज्य सरकार	31					
		35					
		36					
संघ राज्य क्षेत्र सरकार		31					
		35					
		36					
शहरी स्थानीय निकाय	स्थानीय निकाय	31					
		35					
		36					
पंचायती राज संस्थाएं		31					
		35					
		36					
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	राज्य सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और केंद्र सरकार के उपक्रम	31					
		35					
		36					
गैर सरकारी संगठन	पंजीकृत समितियां	31					
		35					
		36					
स्वायत्त निकाय	पंजीकृत समितियां (सरकारी स्वायत्त निकाय)	31					
		35					
		36					
सहकारी समितियां एवं सहकारी संस्थाएं	न्यास	31					
		35					
		36					
सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण	सांविधिक निकाय	31					
		35					
		36					

अन्य	केंद्र सरकार, निजी क्षेत्र की कंपनियां, व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राज्य सरकार का संस्थान एवं राज्य सरकार का डीडीओ (निकायों के नाम)	31					
		35					
		36					

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
मंत्रालय का नाम:-
दूरभाष संख्या:-

भारत सरकार लेखाकरण मानक : 3 (i)

विवरण संख्या 3 - वर्ष 2014-15 के लिए संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण

भाग : 1 ऋण और अग्रिम का सारांश : ऋणी समूह वार

(लाख रुपयों में)

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्अदायगी	अशोध्य ऋण और अग्रिम को बट्टे खाते डालना	31 मार्च, 2015 को अंत शेष {(2+3)-(4+5)}	**वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (6-2)**	**ब्याज अदायगी की बकाया राशि**
1	2	3	4	5	6	7	8
राज्य सरकार							
संघ राज्य क्षेत्र सरकार							
विदेशी सरकारें							
सरकारी निगम, गैर-सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां किसान आदि							
सरकारी कर्मचारी							
कुल							

टिप्पणियां:-

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण के रूप में प्रदत्त कुल .... लाख रुपए की राशि में से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया कर्ज .... लाख रुपए था।

2. 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा .... लाख रुपयों की पुनर्अदायगी को 31 मार्च, 2015 तक बट्टे खाते डाल दिया गया है।

3. वर्ष के प्रारंभ में, ... लाख रुपए का शेष था जो राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में स्वीकृत किया गया था। **वर्ष के दौरान**, ...लाख रुपए की राशि राज्य सरकार को अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में अदा की गई थी जो समाशोधन/भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्टों से बचने के लिए थी। राज्य सरकारों ने वर्ष के दौरान .... लाख रुपए की पुनर्अदायगी की जिससे .... लाख रुपए का शेष रहा।

4. नीचे ऋण के ऐसे मामले दिए गए हैं जिन्हें 'स्थायी ऋण' के रूप में स्वीकृत किया गया है:

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	ऋणी निकाय	स्वीकृत किए जाने का वर्ष	स्वीकृति आदेश सं.	राशि	ब्याज दर
1	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें				
2	अन्य ऋणी निकाय				
			कुल		

भाग : 2 ऋण और अग्रिम का सारांश : सेक्टरवार

(लाख रुपयों में)

सेक्टर	1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्अदायगी	अशोध्य ऋण और अग्रिम को बट्टे खाते डालना	31 मार्च, 2015 को अंत शेष {(2+3) - (4+5)}	**वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (6-2)**	ब्याज अदायगी की बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6075)							
सामाजिक सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6202 से 6250)							
आर्थिक सेवाएं (मुख्य शीर्ष 6401 से 7475 और मुख्य शीर्ष 7615)							
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें (मुख्य शीर्ष 7601 एवं 7602)							
विदेशी सरकार (मुख्य शीर्ष 7605)							
सरकारी कर्मचारी (मुख्य शीर्ष 7610)							
कुल							

भाग : 3 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों एवं अन्य ऋणी निकायों से पुनर्अदायगी के बकाया का सारांश

(लाख रुपयों में)

ऋणी-निकाय	31 मार्च 2015 को बकाया राशि			सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31 मार्च, 2015 को निकाय पर बकाया कुल ऋण
	मूलधन	ब्याज	कुल		
1	2	3	4	5	6
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें					
अन्य ऋणी निकाय					
कुल					

मुख्य महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
मंत्रालय का नाम:-
दूरभाष संख्या:-

भारत सरकार लेखाकरण मानक : 3 (ii)

सं.15 - संघ सरकार द्‌वारा दिए गए ऋण और अग्रिम का ब्योरेवार विवरण

भाग : 1 ऋण और अग्रिम का मुख्य एवं लघु शीर्षवार ब्योरा

कुल संवितरण में से, योजना प्रयोजन की राशि को प्रत्येक मुख्य शीर्ष संबंधी संवितरण के कुल आंकड़ों के नीचे कोष्ठकों में दर्शाया गया है

(लाख रुपयों में)

मुख्य/लघु लेखा शीर्ष शीर्ष	1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्अदायगी	अशोध्य ऋण और अग्रिम को बट्टे खाते डालना	31 मार्च, 2015 को अंत शेष {(3+4)-(5+6)}	**वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (7-3)**	जमा किया गया ब्याज
1 और 2	3	4	5	6	7	8	9
6202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण							
01 - सामान्य शिक्षा							
202 माध्यमिक शिक्षा							
203 विश्वविद्‌यालय और उच्चतर शिक्षा							
600 सामान्य							
902 सामाजिक एवं अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई घटाएं वसूलियां							
कुल - (01)							
02 - तकनीकी शिक्षा-							
104 पॉलिटेक्निक							
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज एवं संस्थान							
800 अन्य ऋण							
कुल - (02)							
03 - खेलकूद एवं युवा सेवाएं-							
800 अन्य ऋण							
कुल - (03)							

04 - कला एवं संस्कृति-							
102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन							
797 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखे को/से अंतरण							
कुल - (04)							
कुल							
: : : आदि							
कुल जोड़							

भाग: 2 राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से बकाया पुनर्अदायगी

(लाख रुपयों में)

राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार का नाम	31 मार्च 2015 को बकाया राशि			सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	**31 मार्च 2015 को निकाय पर बकाया कुल ऋण**
	मूलधन	ब्याज	कुल		
1	2	3	4	5	6
आंध्रप्रदेश					
अरुणाचल प्रदेश					
असम					
: : : **आदि**					
कुल - राज्य सरकारें					
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह					
चंडीगढ़					
: : : **आदि**					
कुल - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें					
कुल - राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें					
अन्य ऋणी निकायों का जोड़					
कुल जोड़ - राज्य सरकारें संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और अन्य ऋणी					

निकाय					

भाग: 3 अन्य ऋणी निकायों या संस्थाओं से बकाया पुनर्अदायगी

(लाख रुपयों में)

ऋणी निकाय	31, मार्च 2015 को बकाया राशि			सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	31, मार्च 2015 को निकाय पर बकाया कुल ऋण
	मूलधन	ब्याज	कुल		
1	2	3	4	5	6
भारतीय केंद्रीय मत्स्य पालन निगम, हावड़ा					
हिंदुस्तान एअरोनाटिक्स लिमिटेड, बेंगलुरु					
: : : **आदि**					
कुल					

अतिरिक्त प्रकटन

वर्ष 2014-15 के दौरान दिए गए नए ऋण एवं अग्रिम राशि

(लाख रुपयों में)

ऋणी निकाय	ऋणों की संख्या	ऋणों की कुल राशि	शर्तें एवं निबंधन	
			ब्याज दर	अधिस्थगन अवधि, यदि कोई हो
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
अरुणाचल प्रदेश				
: : **आदि**				
कुल - राज्य				

सरकारें				
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				
चंडीगढ़				
: : : **आदि**				
कुल - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें				
म्यांमार				
तुर्कमेनिस्तान				
: : : **आदि**				
कुल - विदेशी सरकारें				
हिमाचल एग्रो लिमिटेड				
मालाबार अरेबियन फिशरीज लिमिटेड, कोच्ची				
: : **आदि**				
कुल - सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, किसान आदि				
सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम				

सरकारी कर्मचारियों को मोटर वाहन अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को अन्य वाहन अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को अन्य अग्रिम				
कुल - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि				
कुल योग				

टिप्पणी: ऋण और अग्रिम से संबंधित असाधारण लेन-देन दर्शाने वाले प्रकटन :

1. नीचे ऋण के ऐसे मामले दिए गए हैं जिन्हें 'स्थायी ऋण' के रूप में स्वीकृत किया गया है

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	स्वीकृत किए जाने का वर्ष	स्वीकृति आदेश संख्या	राशि	ब्याज दर
अरुणाचल प्रदेश				
असम				
: : **आदि**				
कुल - राज्य सरकारें				
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				
चंडीगढ़				
: : **आदि**				

कुल - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें				
म्यांमार				
तुर्कमेनिस्तान				
: : **आदि**				
कुल - विदेशी सरकारें				
हिमाचल एग्रो लिमिटेड				
मालाबार अरेबियन फिशरीज लिमिटेड, कोच्ची				
: : **आदि**				
कुल - सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, किसान आदि				
सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को मोटर वाहन अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को अन्य वाहन अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर अग्रिम				
सरकारी कर्मचारियों को अन्य अग्रिम				

कुल - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि				
कुल योग				

2. सरकार द्वारा निम्नलिखित ऋण प्रदान किए गए हैं यद्यपि शर्तें और निबंधन अभी निर्धारित किए जाने हैं:

(लाख रुपयों में)

ऋणी निकाय	ऋणों की संख्या	कुल राशि	सबसे पहले की अवधि जिससे ऋण संबंधित है
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
अरुणाचल प्रदेश			
: : : **आदि**			
कुल - राज्य सरकारें			
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			
चंडीगढ़			
: : : **आदि**			
कुल - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें			
म्यांमार			
तुर्कमेनिस्तान			
: : **आदि**			

कुल - विदेशी सरकारें			
हिमाचल एग्रो लिमिटेड			
मालाबार अरेबियन फिशरीज लिमिटेड, कोच्ची			
: : : **आदि**			
कुल - सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, किसान आदि			
सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम			
सरकारी कर्मचारियों को मोटर वाहन अग्रिम			
सरकारी कर्मचारियों को अन्य वाहन अग्रिम			
सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर अग्रिम			
सरकारी कर्मचारियों को अन्य अग्रिम			

कुल - सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि			
कुल योग			

3. उन ऋणी निकायों को वर्ष के दौरान दिए गए नए ऋण और अग्रिम जिनसे पिछले ऋणों की पुनर्अदायगी बकाया है

(लाख रुपयों में)

ऋणी निकाय का नाम	चालू वर्ष के दौरान संवितरित ऋण		31 मार्च, 2015 को बकाया राशि			सबसे पहले की अवधि जिससे बकाया संबंधित है	चालू वर्ष के दौरान संवितरण के कारण
	ब्याज दर	मूलधन	मूलधन	ब्याज	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश							
अरुणाचल प्रदेश							
: : : **आदि**							
कुल - राज्य सरकारें							
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह							
: : : **आदि**							
कुल - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें							

म्यांमार							
तुर्कमेनिस्तान							
: : : **आदि**							
कुल - विदेशी सरकारें							
हिमाचल एग्रो लिमिटेड							
मालाबार अरेबियन फिशरीज लिमिटेड, कोच्चि							
: : : **आदि**							
कुल सरकारी निगम, गैर सरकारी संस्थाएं, स्थानीय निधियां, किसान आदि							
सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण अग्रिम							

सरकारी कर्मचारियों को मोटर वाहन अग्रिम							
सरकारी कर्मचारियों को अन्य वाहन अग्रिम							
सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर अग्रिम							
सरकारी कर्मचारियों को अन्य अग्रिम							
कुल- सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि							
कुल योग							

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
मंत्रालय का नाम:-
दूरभाष संख्या:-

आइजीएएस-3 के अनुसार सामग्री प्रस्तुत करने के लिए जांच सूची

1. प्रतिकूल शेष में संबंधित की गई टिप्पणी संलग्न है।

2. प्रोफार्मा आधार पर अपनाए गए/छोड़ दिए गए शेषों का ब्योरा संलग्न है अथवा दिनांक........... के पत्र सं. .... द्वारा पहले ही भेजा जा चुका है।

3. ऋणात्मक लेनदेन के कारण प्रस्तुत किए गए हैं।

4. 7601/7602 के अंतर्गत आंकड़ों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।

5. लेखा शुद्धता का निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. यह सुनिश्चित किया जाए कि संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम की जो सूचना इस कार्यालय को भेजी गई है वह विवरण सं. 3, 15 और केंद्रीय लेनदेन विवरण की सूचना से मेल खाती है।

मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक
मंत्रालय का नाम:-
दूरभाष संख्या:-